राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी -- कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस

मुकदमा संख्या - 88/19 प्रा०पत्र

1- श्रीमती भगवती देवी प०श्री बंशी लाल शर्मा निवासी- नागोर त० मांडल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती प्रेम देवी प०श्री श्यामलाल सेन निवासी- नागोर त० मांडल

2. श्री सोहनलाल S/o श्री गंगजीराम आचार्य निवासी- नागोर त० मांडल

3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मांडल तहसील - मांडल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 28-5-19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ........नागोर.............. पटवार हलका........नागोर I... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. .....1553, 1554.............. कुल किता.....02.. रकवा .........02..... बीघा.......17.......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनाक ......13-5-19......... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ..........नागोर...... पटवार हलका.........नागोर I...... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. .............1553, 1554.............................. कुल किता....02.... रकवा .....02....... बीघा.........02.........बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक ..नागोर............ को ....... 300/-रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि – तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल